

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
(14/71, केसा हाउस, सिविल लाइन्स, कानपुर-208001)

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ०प्र० सरकार के उपक्रम कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड द्वारा टू-अप वर्ष 2024-25, ए०पी०आर० वर्ष 2025-26 एवं सकल राजस्व आवश्यकता वर्ष 2026-27 की याचिका दिनांक 28.11.2025 को मा० आयोग में प्रस्तुत की गई थी। मा० आयोग ने अपने आदेश दिनांक 06.02.2026 द्वारा उक्त याचिका स्वीकार कर ली हैं। मा० आयोग के उक्त आदेश के अनुपालन में याचिका के मुख्य अंश उपभोक्ताओं, स्टैकहोल्डर्स एवं आम जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् सूचित किये जाते हैं:-

क्र० सं०	विवरण	टू-अप	ए०पी०आर०	ए०आर०आर०
		वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2026-27
1.	ऊर्जा क्रय (वितरण निगम की परिधि पर) (मि०यू०)	4569.22	4818.34	5061.16
2.	ऊर्जा विक्रय (मि०यू०)	4218.14	4456.96	4687.14
3.	वास्तविक / प्रस्तावित वितरण लाइन हानियाँ (%)	7.68%	7.50%	7.39%
	प्राप्तियाँ (रुपये करोड़ में)			
4.	ऊर्जा क्रय मूल्य (पीजीसीआईएल चार्ज सहित)	2,589.41	3,038.09	3,224.71
5.	ट्रांसमिशन चार्ज (यूपीपीटीसीएल)	116.03	189.34	200.66
6.	कुल व्यय ऊर्जा (नेट ऑफ कैपलाइजेशन)	394.39	399.90	416.82
7.	स्मार्ट मीटरिंग ओपेक्स कॉस्ट	33.47	66.97	144.74
8.	मूल्यहास	34.72	44.14	61.25
9.	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क (नेट ऑफ कैपलाइजेशन)	48.92	60.69	87.32
10.	बैड एवं डाउटफुल डेब्ट्स	66.52	70.52	74.00
11.	कुल व्यय	3,283.45	3,869.65	4,209.49
12.	रिटर्न ऑन इक्विटी	52.69	61.71	79.91
13.	अन्य आय	116.56	120.24	124.04
14.	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	3,219.58	3,811.13	4,165.35
15.	टैरिफ से प्राप्त राजस्व (देय)	3,325.81	3,525.92	3,699.79
16.	प्राप्त/घोषित सब्सिडी	-	9.64	9.64
17.	कुल राजस्व (घाटा)/अधिकता	106.23	(275.57)	(455.92)
18.	विद्युत खरीद लागत (एक्स-बस) (रु०/यूनिट)		5.15	5.23
19.	औसत बिजली खरीद दर (BST) (रु०/यूनिट)		5.45	5.45
20.	डीबीएसटी दर (रु०/यूनिट)		6.31	6.37
21.	औसत विक्रय दर (सब्सिडी को छोड़कर) (रु०/यूनिट)		7.91	7.89
22.	औसत आपूर्ति लागत (रु०/यूनिट)		8.55	8.89
23.	व्हीलिंग शुल्क (रु०/यूनिट)			0.94

क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज वित्तीय वर्ष 2026-27		
क्र० सं०	उपभोक्ता श्रेणी	(रु० प्रति यूनिट)
1	एच०वी०-1 (आपूर्ति 11 के०वी० पर)	1.66
2	एच०वी०-1 (आपूर्ति 11 के०वी० से ऊपर)	1.66
3	एच०वी०-2 (आपूर्ति 11 के०वी० तक)	0.96
4	एच०वी०-2 (आपूर्ति 11 के०वी० से ऊपर एवं 66 के०वी० तक)	0.76
5	एच०वी०-2 (आपूर्ति 66 के०वी० एवं 132 के०वी० से ऊपर)	0.43
6	एच०वी०-3 (आपूर्ति 132 के०वी० से कम एवं 132 के०वी० से ऊपर) (रेलवे ट्रेक्शन)	1.66
7	एच०वी०-3 (आपूर्ति 132 के०वी० से कम एवं 132 के०वी० से ऊपर) (मेट्रो ट्रेक्शन)	1.66
8	एच०वी०-4 (आपूर्ति 11 के०वी० पर)	1.66
9	एच०वी०-4 (आपूर्ति 11 के०वी० से ऊपर एवं 66 के०वी० तक)	1.66
10	एच०वी०-4 (आपूर्ति 66 के०वी० से ऊपर एवं 132 के०वी० तक)	1.66

टू-अप, ए०पी०आर० एवं ए०आर०आर० याचिका, साथ ही आयोग द्वारा प्रेषित डिफिसियेन्सी नोट के उत्तर, निगम की वेबसाइट (www.kesco.co.in) पर उपलब्ध हैं। समस्त स्टेक-होल्डर, आम जनता तथा सभी उपभोक्ता समय-समय पर लाइसेन्सी द्वारा प्रेषित अभिलेखों की अद्यतन जानकारी निगम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

सभी सम्बन्धित उपभोक्ता, संस्था, अनुज्ञप्तिधारक और सरकार के विभाग अपने प्रतिवेदन नोटराइज्ड शपथ-पत्र के साथ छह प्रतियों में जिसमें चार प्रति सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को तथा दो प्रतियाँ प्रबन्ध निदेशक कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड 14/71, सिविल लाइन्स, केसा हाउस, कानपुर-208001 को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 21 दिनों में प्रेषित कर सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक
कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड

राष्ट्रहित में बिजली बचायें